DEVELOPMENT and JUSTICE initiative

Supporting
Safety
Security
Dignity

शरणार्थी कौन हैं?
वे कहाँ से आतें हैं?
उनके अधिकार क्या हैं?

Photo Courtesy: Danish Siddiqui

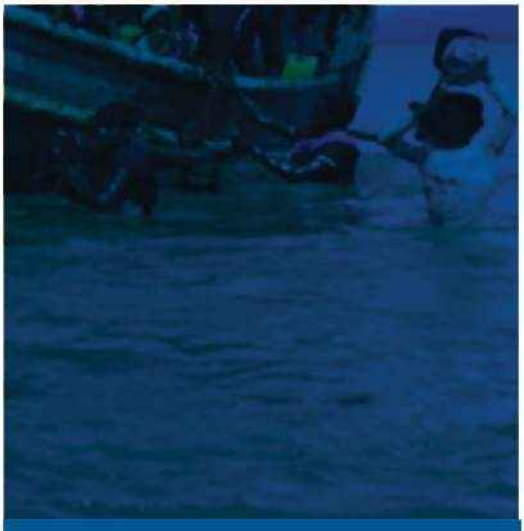

शरणार्थियों के अधिकारों के विषय में
जन सामान्य की समझ को बढ़ाने के लिए
जानकारी और शैक्षणिक सामग्री

शरणार्थी कौन हैं ?

शरणार्थी वे लोग हैं जो अपने खुद के देश के बजाय किसी दूसरे देश से कानून का आश्रय मांगते है. अपने देश में जुल्म और अत्याचार से भयभीत होकर अपने देश से पलायन करके किसी अन्य देश की शरण लेते हैं. अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी हर इंसान के किसी अन्य देश में शरण मांगने के अधिकार को मान्यता देते हैं. अधिकतर देश शरणार्थियों को शरण देते हैं. दुनिया में सबसे अधिक संख्या में शरणार्थियों को शरण देने वाले देशों में तुर्की, ईरान और पाकिस्तान आगे हैं.

भारत में भी पडोसी देश और दूर दराज के देशों से बहुत संख्या में लोग शरण मांगने आयें हैं. बहुत से प्रकरणों में भारत ने उनके साथ अनुकूल व्यवहार करके, उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की है. सन 1947 में भारत की आज़ादी के वक्त भारत में 70 लाख से भी अधिक शरणार्थी आए. इसी तरह सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान और उसके तत्काल बाद, भारत ने बांग्लादेश से आये 60 लाख लोगो को शरण दी, हालांकि इसमें से बहुत सारे शरणार्थी बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद, अपने देश लौट गए. वर्तमान में, भारत में शरणार्थियों की संख्या निम्नानुसार है :

मूल देश	संख्या
श्रीलंका	95,829
तिब्बत	73,404
म्यानमार	26,638
अफ़ग़ानिस्तान	16,871
अन्य	4,323

- यद्दपि भारत सन 1951 में निर्मित शरणार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि तथा सन 1967 में बने इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं एवं भारत की वर्त्तमान में शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय रूपरेखा भी नहीं है, तथापि भारत ने शरणार्थी सुरक्षा के लिए कई अन्य अन्तर्राष्टीय संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं जो शरणार्थियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए नीति प्रदान करती हैं. हमारे खुद के संविधान में भी भारत के सभी लोगो की रक्षा का प्रावधान हैं, चाहे वो व्यक्ति नागरिक हो या नहीं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जिसे संविधान की आधारशिला माना जाता है, में भारत के सभी **व्यक्तियों** को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का प्रावधान है.
- भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लोगो को बहुसंख्या में शरण देने का कार्य जारी है तथा वह UNCHR के, अन्य देशो से आये शरणार्थी, मुख्यतः जो अफगानिस्तान और म्यांमार से आयें है, के विषय में दिये गये, आदेश का सम्मान करता है.

भारत में शरणार्थियों पर लागू होने वाले अन्तर्राष्टीय कानून

- **UDHR (युनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स)** मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा का अनुच्छेद 14, जुल्म और अत्याचार से शरण मांगने और लेने का अधिकार प्रदान करता है. इसके अलावा, इस घोषणा का अनुच्छेद 13 अपने देश छोड़ने का अधिकार देता है, तथा अनुच्छेद 15 राष्ट्रीयता का अधिकार देता है. Universal Declaration of Human Rights यानी मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को तैयार करने में भारत भी शामिल था. भारत का संविधान, संविधान सभा ने 26 दिसम्बर 1949 को पारित किया, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया. मानव अधिकारों की अंतराष्ट्रिय घोषणा, जिसे सन 1948 में दुनिया भर में स्वीकार किया गया, ने हमारे भारतीय संविधान पर गहरी छाप छोड़ी है.
- **ICCPR: यह नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की एक अन्तर्राष्टीय संधि** है जिसे अनेक देशों ने अनुमोदित किया है और उसे सम्मान तथा पालन करने का संकल्प लिया है. इन अधिकारों में जीने का अधिकार, धर्म की आजादी, बोलने की आजादी, एकत्रित होने की आजादी, चुनाव करने का अधिकार, और न्यायसंगत प्रक्रिया तथा पक्षपातविहीनता के अधिकार शामिल है. भारत ने सन 1979 में इस संधि को अनुमोदित किया है.

- **CEDAW: महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्टीय संधि (सीडाव)** - यह संधि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को वर्जित करती है. सीडाव विभिन्न परिस्थितियों में फँसी शरणार्थी, विस्थापित तथा राज्यविहीन महिलाओं और व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अन्तर्राष्टीय कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करती है तथा उसे पूरा करती है. सीडाव संधि इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि इससे जुड़े हुई कई अन्तर्राष्टीय संधियों में महिला पुरुष बराबरी के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है. खासकर सन 1948 में जारी मानव अधिकारों की अन्तर्राष्टीय घोषणा और सन 1967 में बने उसके नियम समूह इस सम्बन्ध में अपर्याप्त है. सीडाव एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो इस संधि का अनुमोदन करने वाले देशों को आधिकारिक मार्गदर्शन देती है कि संघर्ष के पहले, दौरान और पश्चात महिलाओं के मानव अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए. उनकी सामान्य सिफारिश यह स्पष्ट करती है कि यह संधि विवाद और विवादोत्तर सभी स्थितियों में लागू होगी और इन स्थितियों में महिलायों के सामने उठने वाले प्रमुख मुद्दों को संबोधित करती है, जिसमे महिलायों पर हिंसा तथा महिलायों द्वारा न्याय, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य प्राप्त करने की चुनौतियाँ शामिल है. यह दस्तावेज राज्यों को महिलाओं के खिलाफ गैर राज्य अभिकर्ता द्वारा किये गए अपराधो के सम्बन्ध में आवश्यक कर्तव्य

शरणार्थी कौन है ?

- सन 1951 के शरणार्थी समझौते और सन 1967 में निर्मित इसके नियम के अनुसार, शरणार्थी वह व्यक्ति है जो अपनी नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी सामाजिक समूह की सदस्यता या किसी राजनैतिक विचारधारा के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भावी अत्याचार के कारणवश डरते हैं, जो अपने मूल देश के बाहर हो, और उसे अपने मूल देश की सुरक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है या उसके लिए वह तैयार नहीं है.

शरणार्थियों पर वैश्विक समझौता क्या है ?

- 17 दिसम्बर 2018 को शरणार्थियों पर वैश्विक समझौते को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में अपनाया गया, ये शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने के कार्य में ज़िम्मेदारी के बंटवारे को अधिक न्यायसंगत और पूर्व अनुमान पर बेहतर तरीके से आधारित एक रूपरेखा प्रदान करता है, तथा इस बात पर आधारित है की शरणार्थियों की परिस्तिथियों का स्थायी समाधान अन्तर्राष्टीय सहयोग से ही संभव है.
- यह समझौता सरकारों, अन्तर्राष्टीय संगठनो और अन्य भागीदारों को एक ऐसा खाका प्रदान करता है जिससे मेजबान समुदायों को आवश्यक सहायता मिले, और शरणार्थी सामान्य जिंदगी गुज़ार पायें.

- करने की उनकी बाध्यता के विषय में मार्गदर्शन देती है. सामान्य सिफारिश सुरक्षा परिषद् की महिला, शान्ति और सुरक्षा की कार्यसूची के साथ सीडाव की सहलग्नता को पुष्ट करती है. भारत ने 1980 में सीडाव समझौते पर हस्ताक्षर किये और सन 1993 में कुछ संदेहों के साथ अनुमोदित किया.
- **CRC (बच्चों के अधिकारों पर करार)** के अनुच्छेद 2 के अनुसार- राज्यों के पक्ष, वर्त्तमान समझौते में बच्चों के लिए प्रतिपादित अधिकारों को सम्मान देंगे और अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक बच्चे के लिए बच्चे का पिता माता के नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय, संजातीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, अक्षमता, जन्म या अन्य दर्जे के आधार पर किसी भेदभाव के बिना सुनिश्चित करेंगे. यह समझौता संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में 20 नवम्बर 1989 को मंजूर किया गया. यह समझौता औपचारिक रूप से अनुमोदन के लिये 26.01.1990 को खोला गया और भारत सरकार ने इसे 11 दिसम्बर 1992 को अनुमोदित किया.

रोहिंग्या के विषय में

- रोहिंग्या एक संजातीय समूह है जिसके अधिकतर सदस्य इस्लाम धर्म के अनुयायी है, और जो पिछले कई शताब्दियों से बुद्ध धर्म अनुयायी म्यांमार में वास करते आये हैं. उनकी भाषा रोहिंग्या या रोइंनगा है. यह बोली म्यांमार में बोले जाने वाली भाषाओं से काफी अलग है. उनकी भाषा और चेहरा मोहरा दक्षिण एशियाई लोगो की तरह है, जिसके कारण म्यांमार के लोग उनके खिलाफ नस्ल आधारित नफरत करते हैं, और दक्षिण एशियाई मूल की जितनी भी विभिन्न जातियां म्यांमार में वास करती हैं, इनकी व्यापक श्रेणी को "काला" कहते हैं. परिणाम स्वरुप उन्हें म्यांमार की नागरिकता से वंचित कर दिया गया है, और वे राज्यविहीन हैं.

- ये गौरतलब है कि रोहिंग्या, म्यांमार में सताए जाने वाले एक मात्र अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है. कई अन्य संजाति जो इसाई धर्म के अनुयायी है, भारत और नेपाल मूल के लोग, और बुद्ध के अनुयायी आदिवासी लोगों को भेदभाव और मानव अधिकारों का उल्लंघन म्यांमार/बर्मा की सन 1948 में आजादी के समय से सहना पड़ता है.

- सन 1980 के दशक से रोहिंग्या म्यांमार से पलायान कर रहें हैं. दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के इलाके में उन्होंने बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तथा भारत में शरण मांगी है. कुछ रोहिंग्या लोगो ने ऑस्ट्रिलिया, यूरोप औए सऊदी अरब जैसे दूर दराज देशो में भी शरण ली है. सन 2017 में म्यांमार में, रोहिंग्या जाति के लोगो का भीषण नरसंहार किया गया, जिसमे रोहिंग्या महिलाओं पर बड़े पैमाने में यौनिक हिंसा की गयी. इसके चलते करीब 7 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में पलायान कर शरण लेने के लिए मजबूर हुए, जहाँ आज वर्त्तमान में 10 लाख रोहिंग्या रहते हैं. "अन्तर्राष्ट्रीय इन्साफ का न्यायालय" वर्तमान में म्यांमार सरकार के खिलाफ, रोहिंग्याओं के नरसंहार के प्रकरण की सुनवाई कर रहा है. कई रोहिंग्या भारत में सन 2000 से रह रहें हैं, और उनका पंजीयन संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के लिए कमिशनर के साथ हुआ है.

- अधिकतर रोहिंग्या कम पड़े लिखे हैं, और उन्हें अच्छे स्तर का रोजगार प्राप्त करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और बहुत कठिन परिस्थितियों में जीना पड़ता है. गरीबी के साथ उत्पन्न होने वाली बेहद खराब सामाजिक आर्थिक परिस्तिथियों जिसमे जल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव शामिल है, से रोहिंग्या महिलाएं और बच्चे खासकर प्रभावित हैं.

- भारत में रहने वाले रोहिंग्या हमेशा इस भय में रहते हैं की उन्हें गिरफ्तार करके म्यांमार लौटने के लिए मजबूर किया जायेगा. नागरिकताविहीन व्यक्ति होने के कारण म्यांमार में उन्हें जिस तरह के आतंक का सामना करना पड़ा है, वो उनसे भुलाया नहीं जाता है. उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों का अभाव भी एक कारण है, जिसके चलते उन्हें भारत देश में रहने वाले हर व्यक्ति को प्राप्त शिक्षा, रोजगार और आश्रय आदि के मौलिक अधिकारो से वंचित रहना पड़ता है.

सुरक्षा -
शरणार्थी और शरणार्थी बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो !!

सेवा -
शरणार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों !!

सुनिश्चितता -
शरणार्थी बच्चों की भारत में शिक्षा सुनिश्चित हो !!

शरणार्थियों के बुनियादी मानव अधिकार

- शरणार्थियों का उस देश में जबरन वापसी जहाँ उन्हें सताए जाने का जोखिम है, के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार
- शरण मांगने का अधिकार
- बराबरी और गैर भेदभाव का अधिकार
- जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार
- अपने मूल देश में वापस लौटने का अधिकार

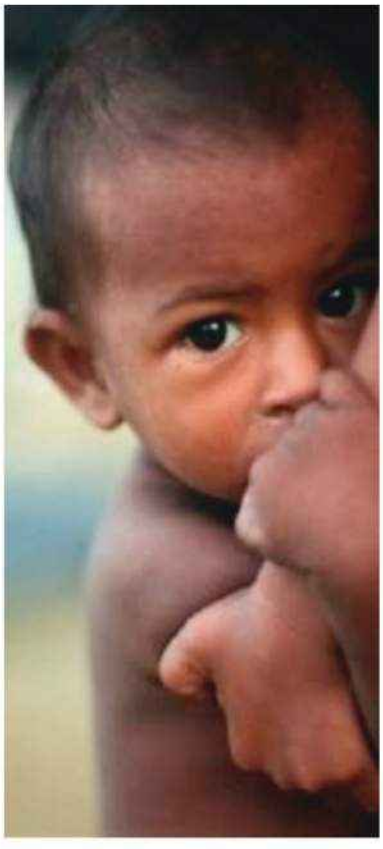

दाजी के विषय में

विकास और न्याय की पहल (दाजी)

हम सीमांत पर जीने वाले समुदायों को उनके अधिकारों और सेवाओं प्राप्त करने के लिए और उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करते हैं. हम शरणार्थी, अल्पसंख्यक समुदाय, विस्थापित लोग और नागरिकताविहीन होने के जोखिम से गुजरने वाले व्यक्तियों को संगठित करने का काम करते हैं. हम इन समुदायों को संगठित करने के लिए अन्य गतिविधियों के साथ, उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, बंदियों को कानूनी सहायता देते हैं, और संकट के समय इन समुदायों को मानवीय सहायता भी पहुंचाते है. इन समुदायों के विषय में हम शोध भी करते हैं, और अन्य संगठनो के साथ मिलकर उनके पक्ष की हिमायत करते हैं. इन समुदायों को संगठित करने के लिए अन्य गतिविधियों के साथ, संगठन के सदस्यों को शिक्षण, प्रशिक्षण और संवाद के जरिये भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों से परिचय कराते हैं. इनके अधिकारों की वकालत करने की इस पहल में हम सम्बंधित अधिकारियों और जनता को भी जोड़ते हैं, ताकि वे इन सीमान्त समुदायों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बने.

हम वंचित समुदायों के लिए निष्पक्षता, मानव अधिकार और न्याय को बढ़ाने वाली नीतियों और प्रयासों को रूप देने के लिए सम्बंधित सरकारी सरकारी प्रतिष्ठान, विभाग और कानूनी संस्थाओं को मदद करते हैं. हम गठबन्धनो और नागरिक संस्थाओं के विस्तार समूह के साथ जुड़कर तथा मीडिया, वकील समुदाय तथा शैक्षणिक संस्थायों जैसे महत्वपूर्ण भागीदारो के साथ मिलकर वैश्विक, एशिया और देश के स्तर पर काम करते हैं.

शरणार्थियों के अधिकार मानव अधिकार है

" शरणार्थी शायद दुनिया के अत्यन्त परगमनकारी व्यक्ति हैं. वे अपने स्थाई घरों को खो चुके हैं. शरणार्थी उनकी क्षति से, उस क्षति के ऊपर उठने के और उससे ऊपर उठकर अपना जीवन पुनः निर्मित करने की क्षमता से हमें प्रेरित करते हैं. निर्वासन में कुछ शरणार्थियों का क्षय हो जाता है, और अन्य शरणार्थी उल्लास के साथ विजय प्राप्त करते हैं. लोगो की ऐसे वंचन को सहन करने के बाद फिर से खुद को एकत्रित करके एक नयी शुरुवात करने की क्षमता में कुछ महान और चिरस्थायी है. इस तरह शरणार्थी आशा के स्रोत और एक मजबूत जीवन शक्ति का प्रतिबिम्ब बन सकते हैं."

आर्थर सी हेलटन

अमरीकी अधिवक्ता, शरणार्थियों के पक्षधर,
शिक्षक और लेखक

DEVELOPMENT initiative and JUSTICE

Supporting
Safety
Security
Dignity

दाजी से संपर्क :

दिल्ली : जी - 1369, पहली मंजिल, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली -110019.
ईमेल : info.daji@gmail.com | वेबसाइट : http://www.daji.org.in

जयपुर: 59, मेहनत नगर, 60 फीट रोड, हटवारा, खातीपुरा रोड, जयपुर, राजस्थान - 302006

मेवात: वार्ड नंबर 3, न्यू बस स्टैंड के पास, नूह, हरियाणा - 122107

हमें लाइक करें : https://www.facebook.com/dajicommunity/

हमें फॉलो करे: https://twitter.com/DajiRefugee?s=03

dolndash.com # 98292 31611